संख्या- **493**/2025/1346/41-1-2025/CN-1866839/2024

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **27** मई, 2025

विषय:-जनपद महोबा स्थित विजय सागर पक्षी विहार का ईको टूरिज्म विकास की परियोजना को क्लोज/निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-144727/DOTUP-BTVP0BTVP/46/2023-UPTBTVP, दिनांक 17 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से प्रश्नगत परियोजना को यथास्थिति में ही क्लोज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्तजनपद महोबा स्थित विजय सागर पक्षी विहार का ईको टूरिज्म विकासकी परियोजना हेतु निर्गत पर्यटन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-300/2023/1658/001-208-Budget-2023, दिनांक 29 मार्च, 2023 को एतद्द्वारा यथास्थिति में ही क्लोज/निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 150.00 लाख (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, महोबा।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, चित्रकूट।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in